न्यायालय सहायक कलक्टर, (Fast Track) बाड़मेर
नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 32/2020

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
1 माडूदेवी पुत्री रूगाराम पत्नी आदूराम जाति जाट निवासी जुनेजों मेहरों की बस्ती, तहसील व जिला बाड़मेर।		1 रूगाराम 2 हिमथाराम 3 लिछमणाराम 4 मंगलाराम पिसरान किरतुराराम जाति जाट निवासी नवलदेव की छतरी, चौखला तहसील बायतु जिला बाड़मेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री भोमाराम चौधरी वकील वादीनी।
2. श्री मेघाराम चौधरी वकील प्रतिवादी संख्या 01।

निर्णय

दिनांक 24.12.20

संक्षिप्त में वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 स्वर्गीय किरतुराराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीनी, प्रतिवादी संख्या 01 की पुत्री होने से विधिक वारिस है। वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की पैतृक संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा जसोताणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 246/148 रकबा 38.07 बीघा, खसरा संख्या 249/150 रकवा 28.09 बीघा कुल रकबा 66.16 बीघा भूमि आई हुई है, उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के 1/4 हिस्से में वादीनी का हिस्सा निहित है। वादीनी, प्रतिवादी संख्या 01 रूगाराम की विधिक वारिस है। वादीनी का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में 1/8–1/8 हिस्सा निहित होने से सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

वकील प्रतिवादी संख्या 01 की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब मय राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। उक्त पैतृक भूमि में वादीनी को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है।

वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 रूगाराम द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत कर वाद पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टी की, जिसे सामिल मिसल किया गया।

बहस सुनी गई। वकील वादीनी द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीनी का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीनी को प्रतिवादी संख्या 01 रूगाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जावे। वकील प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा बहस के दौरान अवगत करवाया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। वादीनी प्रतिवादी संख्या 01 की जायन्दा पुत्री होने के नाते वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के साथ वादीनी का जन्म से हिस्सा निहित है, जिसे सहखातेदार घोषित करवाने की वादीनी अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 11:52:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 से 2031 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीनी का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा एवं अभिलेख, वादीनी, प्रतिवादी संख्या 01 रूगाराम के साथ सहखातेदार घोषित करवाने की अधिकारी है।

अतः वादीनी का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा जसोताणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 246/148 रकबा 38.07 बीघा, खसरा संख्या 249/150 रकबा 28.09 बीघा कुल रकबा 66.16 बीघा भूमि में वादीनी को प्रतिवादी संख्या 01 रूगाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है। अतः तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोहित चौहान)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 24.12.20 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 11:52:13 IST
Reason: SelfAttested

प्रपत्र – 5

न्यायालय सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक), बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री रोहित चौहान (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री

अनवान

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
1 माडूदेवी पुत्री रूगाराम पत्नी आदूराम जाति जाट निवासी जुनेजों मेहरों की बस्ती, तहसील व जिला बाडमेर।		1 रूगाराम 2 हिमथाराम 3 लिछमणाराम 4 मंगलाराम पिरारान किरतुराराम जाति जाट निवासी नवलदेव की छतरी, चौखला तहसील बायतु जिला बाडमेर।

दावा बाबत् 88 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :– 32/2020

निर्णय दिनांक :– 24/12/20

वकील वादीनी एवं वकील प्रतिवादी संख्या 01 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख .... को श्री रोहित चौहान, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादीनी का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा जसोताणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 246/148 रकबा 38.07 बीघा, खसरा संख्या 249/150 रकबा 28.09 बीघा कुल रकबा 66.16 बीघा भूमि में वादीनी को प्रतिवादी संख्या 01 रूगाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है। अतः तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख 24/12/20 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) * बाड़मेर *

(रोहित चौहान)
पीठासन अधिकारी
सहायक कलक्टर,
(फास्ट ट्रेक) बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया		रूपया
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्सप	
4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस		प्लीडर की फीस	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
6 कमिश्नर की फीस		आदेशिका की तामील	
7 आदेशिका की तामिल		कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 11:52:13 IST
Reason: SelfAttested